CRACKDOWN SONBHADRA

प्रेस नोट

दिनांक – 22.01.2026

जनपद – सोनभद्र

थाना घोरावल अन्तर्गत ग्राम केवली में खाखे मोड़ नहर पुलिया चौराहा के पास गौ तस्करों व पुलिस की मुठभेड़ में, 02 नफर गौ तस्कर घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 पिकअप वाहन से 09 राशि गोवंश, 02 अदद अवैध तमंचा, कारतूस बरामद करने एवं 01 मुख्य आरक्षी को गौ तस्करों द्वारा पिकअप से टक्कर मारकर घायल कर देने के सम्बन्ध में -

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी घोरावल श्री राहुल पाण्डेय के पर्यवेक्षण में जनपद में गौ-तस्करी, अन्तर्राज्यीय गौ-तस्करों तथा वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.01.2026 को थाना घोरावल, करमा व शाहगंज पुलिस को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि कुछ पशु तस्कर 01 पिकअप(बिना नम्बर प्लेट के) से कुछ गौवंश को मध्य प्रदेश वार्डर(थाना घोरावल क्षेत्र) से बिहार वध करने हेतु ले जा रहे है। उक्त सूचना पर थाना घोरावल, करमा व शाहगंज पुलिस टीम द्वारा अलग-अलग टीमे बनाकर तत्काल मौके पर पहुँचकर खाखे मोड़ नहर पुलिया चौराहा के पास घेराबन्दी की गई। जिसमें खुद को घिरता देखकर अपराधियों द्वारा भागने के प्रयास में पिकअप से एक मुख्य आरक्षी को टक्कर मारकर घायल कर दिया गया एवं भागने के दौरान पुलिस बल के उपर फायरिंग शुरु कर दी गई, जिसमें पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही करते हुए 02 अभियुक्तगण 01. चालक सिद्धनाथ खरवार पुत्र सुमेर सिंह निवासी ग्राम अमहरा, थाना अधौरा जिला कैमूर, बिहार उम्र करीब 29 वर्ष एवं 02. वाहन मालिक ओमप्रकाश यादव पुत्र रामजनम यादव निवासी चैनपुर, भभुआ बिहार उम्र करीब 30 वर्ष के पैर में गोली लगने से घायल/गिरफ्तार हो गये व कब्जे से 01 पिकअप वाहन में 09 राशि गौवंश(एक मृतक अवस्था में), 02 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। घायल अभियुक्तों एवं घायल मुख्य आरक्षी राजीव कुमार को इलाज हेतु सीएचसी घोरावल पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना घोरावल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रेतर विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम कैमूर बिहार के रहने वाले है। हम लोगों का एक गिरोह है जो काफी दिनों से गौ तस्करी का काम करते है। हम लोग आज भी इन 09 राशि गौवंशों को मध्य प्रदेश के बॉर्डर(थाना घोरावल क्षेत्र) के पास से लादे थे तथा नौगढ़ होते हुए बिहार ले जाते थे। इसके पूर्व में भी कई बार हम लोग इसी योजना के तहत ले चुके है । वध के लिए बिहार से पश्चिम बंगाल भेजा जाता है ।

पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. चालक सिद्धनाथ खरवार पुत्र सुमेर सिंह निवासी ग्राम अमहरा, थाना अधौरा जिला कैमूर, बिहार उम्र करीब 29 वर्ष।

02. वाहन मालिक ओमप्रकाश यादव पुत्र रामजनम यादव निवासी चैनपुर, भभुआ बिहार उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी-

01. 09 राशि गोवंश,(एक मृत्यु अवस्था में)
02. 01 पिकअप वाहन बिना नम्बर प्लेट के,
03. 02 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर,

वांछित का विवरण-

दो अन्य वांछित

पुलिस मुठभेड़ में सम्मिलित पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद यादव, थाना घोरावल, जनपद सोनभद्र।
2.प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश सिंह, थाना करमा जनपद सोनभद्र।
3.थानाध्यक्ष श्री राम सिंहासन शर्मा थाना शाहगंज जनपद सोनभद्र।
4.हे0का0 शिवमंगल, का0 संदीप कुमार, हे0का0 राजीव कुमार (घायल) थाना घोरावल जनपद सोनभद्र।
5.हे0का0 संजय गुप्ता, हे0का0 संदीप सिंह, हे0का0 विवेक गिरी थाना करमा जनपद सोनभद्र।
6.उ0नि0 सकिल अहमद, का0 विनय कुमार थाना शाहगंज जनपद सोनभद्र।